1

RAJYA SABHA

Thursday, the 29th My, 1993/the 7th Sravana, 1915 (Saka)

The House met at eleven of the dock. Mr. Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अवास रहित मामीणों के सिए आवासीय इकाइयों का निर्माण

*61. भी शिक्ष प्रसाद धमपुरिया: क्या प्रचान मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:

- (क) 31 मार्च, 1993 तक आवासकीन ग्रामीण कोगों को शब्द-कार कुल कितने जावास खंड सामिटत किए गए हैं:
- (स) इन आवासकीन लाधम्हेगियों को आवास खंड़ों के निर्माण हेंद्र केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से पृचक-पृथक किठना सनुदान दिया गया तौर उसका राज्य वार स्थीरा क्या है:
- (ग) दनमें से किसने वार्मिटिसियों ने अधने वार्षास का निर्माण नहीं किया:
- (ध) क्या यह सच है कि आवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा भूखण्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत लोग आवासहीन की पात्रता नहीं रखते; और
- (क्र) यदि डां, तो क्या सरकार ऐसे खणात्र व्यक्तियों से दित्क्षेय सहायता की राक्षि तथा भूखण्ड का मृक्य वसूल करने के तिल्य कोई कार्यवाडी करने का विचार रखती है ?

आसीका विकास मंत्राहार (प्रामीण विकास किमार) में राज्य मंत्री (भ्री रामेश्वर ठाकुर) (क) से (क) एक विवरण सभा पटल पर रहा। गया है।

विवरण

न्यूनलम आधायकता कार्यक्रम के एक माग के रूप में राज्य केन की योजनाओं के सन्तर्गत बेचर ग्रामीण लोगों को सावास स्थल शाबिटत किए जाते हैं जिसकी निगरानी 20-सुन्ने कार्यक्रम के सून्न संख्या 14 के सन्तर्गत की जाती है । इसी के दूसरे घटक के रूप में टन लोगों को निर्माण सहायसा भी वी जाती है जिनके प्रस कुछ पूमि है और जिन्हों निर्माण सहायसा की जावध्यकता है । राज्य इस योजना को उपने संसाधनों से कार्यन्तिन कर रहे हैं जिनका सहायसा का पैटर्न मिन्न-भिन्न है । इन योजनाओं के सन्तर्गत खर्च की निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है । 1992-93 के वौरान साधास स्थल आवंदित किए गए परिवारों और जिन परिकारों को निर्माण सहायसा दी गई है, की राज्यवार संख्या संलगन सनुवान्य-1 में है गई है ।

अनुबन्ध-1

1992-93 के दौरान उपलब्ध कराए गए खावास मूखंडों (सूत्र संख्या 14 क), निर्माण सहायता (सूत्र संख्या 14 क) के आवटन की प्रगष्ठि

| क्र. राज्य/संघ स्वसितः क्षेत्र | तावास मूर्वके का आर्थटम | शुद्धेथा कराई गई निर्माण सवायसा (लामार्थियों की ६०) | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | (सामार्थियों की सं०) | | |
| 1 2 | 3 | 4 | |
| 1. तान्छ प्रदेश | 108928 | 152667 | |
| 2. असमाचल प्रदेश | ** | 1253 | |
| 3. क्सम | <i>7</i> 778 | 7778 | |
| 4. 和助 | 21628 | ** | |
| 5. ग्रेंबा | 54 | 33 | |
| б. गुजरात | 37184 | 29248 | |
| 7. वरियाणा | 0 | 1840 | |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 189 | |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 2 | 0 | |
| 10. कर्नाटक | 155663 | 17384 | |
| 11. केरल | 2323 | 131435 | |
| 12. मध्य प्रदेश | 18013 | 18460 | |
| 13. महाराष्ट्र | 0 | 0 | |
| 14. मणिपुर | •• | ** | |
| 15. मे कहा ब | ** | 2784 | |
| 16. मिजोएम | 2200 | 1120 | |
| 17. नगव्येंड | ** | 8 | |
| 18. उ दी सा | 12719 | 9744 | |
| 19. पंजाब | ** | ** | |
| 20. राजस्थान | 36302 | 18594 | |
| 21. सि विक म | ** | 352 | |
| 22. ठनिकनाडु | 35 48 38 | 30000 | |
| 23. त्रिपुरा | 896 | 2650 | |
| 24. उत्तर प्रवेश | 123115 | 103190 | |
| 25. यक्षिचम बंगाल | 36 63 | 255 9 | |
| 26. त्रांडमान और निकोबार वीप समूह | ** | 0 | |

व्यवस्य

27. चंडीगढ -

28. बहर और 29. दमन और

30. दिक्ती

31. सम्बद्धिय

32. पाडियेरी

योग

| : | 887920 | 533841 |
|------------------|--------|--------|
| | 854 | 1486 |
| | ** | ** |
| | 0 | 0 |
| रीव | ** | 0 |
| नगर डवेशी | 15 | 1075 |
| | 1745 | ** |
| | | |

- 🅶 योजनानधीं चल रही है।
- 0 फ्राप्ट नहीं/शून्य।

केन्द्र सरकार भी जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में इन्दिश शाक्षास खेजना नामक एक योजना कार्यान्दित कर रहे है जिसके लिए प्रतिवर्ष जवाहर रोजगार योजना के बन्दर्गत 6 प्रतिष्ठत निषियां निर्धारित की आती हैं । इस योजना का शाक्षय प्रामीण केन्ने' में अनुसूचित अधियों, अनुसूचित वनवातियों और मुक्त बन्धुआ मजदूरों के गरीबों में से सबसे गरीब कोग्रें के लिए नि:बुल्क मकानों का निर्माण करना है । इस

बोजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान के लिए लागत की सीमा निम्न प्रकार है:--रुपए 8,000 मकान का निर्माण स्वच्छ शीयासय और शंखा रहित प्रत्हे 1,400 का निर्माण द्वांचा तथा सामान्य सुविधाओं की 3,300

पर्वतीय क्षेत्रों, प्रतिकृता मृत्रि परिस्थितियों अथका दूर-दराज के क्षेत्रों सहित कठिन क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की लागत 8,000 रुपए की बजाब 9,800 रुपए तक हो सकती है । ऐसे मामलों में जहां मकान समृद्धें में अधवा खोटी-खोटी बनावटों की नीति के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं, दांचा तथा सामान्य सुविधाओं के लिए उपलब्ध 3,300 रुपए की शक्ति को भी मकानों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । इस राशि को उसी मकरन पर अथवा अतिरिक्त मकानों के लिए एक बढ़े परिव्यय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । 1992-93 के लिए इन्दिस आवास योजना के खन्तर्गत राज्यवार वित्तीय और भौतिक प्रगति संलग्न अनुबन्ध-2 में दर्शायी गई है ।



सानुबंध 2 इन्हिरा आवास योजना के कार्यान्वयम की स्थिति 🧓

| % . | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | आबंदन (लाख रू. में) | रुक्ष्य (सं॰) † | निर्मित मकानों की (संख्या) | निर्माणाधीन मकानों की संख्या | स्वर्च (लाख रूपए में) |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्त्र प्रदेश | 980.25 | 7719 | 10961 | 3415 | 1264.00 |
| 2. | अरुगाच्या प्रदेश | 40.90 | 282 | 27@ | 0 | 5.81@ |
| 3. | अस म | 148.44 | 1091 | 1037 | 11 | 130.76 |
| 4. | निहार | 2024.73 | 14509 | 28189 | 12766 | 3212.15 |
| 5. | गोखा | 1.19 | 54 | 55 | Ð | 3.65 |
| 6. | गुजराव | 597.76 | 4546 | 4889 | 2696 | 638.94 |
| 7. | इरियाण - | 116.52 | 917 | 1002 | 41 | 120.58 |
| 8. | डिमाचल प्रदेश | 49.68 | 343 | 347 | . 0 | 51.28 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 28.93 | 200 | 235** | 0 | 16.08** |
| 10. | कर्नाटक | 674.18 | 5309 | 7197 | 0 | 803.70 |
| 11. | केरल | 214.69 | 1690 | 4100 | 0 | 527.98 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 2262.57 | 17816£ | 47156 | 28682 | 2626.55 |

| स्रोग : | 15340.36 | 117133 | 188084 | 86222 | 21451.18 |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|-------|--------------|
| 0. पढिचेरी | 5.99 | 47 | 47 | 0 | 5.1 6 |
| ९. लक्ष द्वीप | 2.00 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8. दमन और दीव | 0.99 | 8 | 0 | 21 | 1.06 |
| समूह 7. बादरा और नगर हवेशी | 7.58 | 60 | 52 | 0 | 7.01 |
| <u>६ अंडमान और निकोबा</u> | र क्रीप 2.00 | 16 | 20*** | 80 | 0.51** |
| पश्चिम संगास | 1436.15 | 11308 | 13300 | 0 | 1695.48 |
| 4. उत्तर प्रदेश | 2425,97 | 18448 | 22218 | 0 | 2933.91 |
| ३. त्रिपुरः | 40.50 | 279 | 343 | 0 | 11.00 |
| 2. तमिस नाहु | 894,65 | 7044 | 9314 | 23971 | 2549.67 |
| ।. सिविकम | 7.39 | Sì | 140 | 0 | 20.73 |
| 0. राजस्यान | 942,33 | 7166 | 11541 | 7787 | 1094.43 |
| ९. पेजाम | 159.41 | 1255 | 3359 | 2834 | 790.98 |
| ६. उद्दीसा | 1168.40 | 8885 | 11305 | 3721 | 1402.39 |
| ७ नागालैंड | \$5.47 | 383 | 1603 | 0 | 232.44 |
| 6. मिजोरम | 31,92 | 220 | 224 | 0 | 32.11 |
| S. मेघाक्य | 63.64 | 439 | 432 | 139 | 47.06 |
| । . मनिपूर | 8.38 | 58 | 213 | 58 | 22.15 |
| ३. महाराष्ट्र | 947.72 | 6974 | 8778 | 0 | 1181.51 |

हालांकि राज्य सरकार ने 58166 हकाहयों का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है ! **†** 24

राज्य सरकार ने 37709 इकाङ्ग्यों का लक्ष्य निर्धारित किया था ।

0 श्रुन्य/समृचित

6 वानेतिम

जनवरी, 93 तक

दिसम्बर, 92 तक

फरकरी, 93 तक

आवास स्थलों के ऐसे अव्यक्तियों, जिन्होंने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण सहायका ख्राप्त कर होने के बाद सामी तक अपने मकानों का निर्माण शुरू नहीं किया है, की संख्या के बारे में सूचना की निगरानी केन्द्र के बजाय केवल राज्य स्तर पर ही रखी जाती है क्योंकि यह योजना राज्य क्षेत्र में ही कार्यान्वित की जाती है।

भारत सरकार को ऐसे लोगों, जिन्होंने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत भू-खण्ड और निर्माण सहस्यता प्राप्त की है, की अपात्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं है । ऐसे मामलों के भारत सरकार के ब्यान में अने की दशा में उचित उपाय करने के लिए उन मामलों को संबंधित राज्य सरकार को प्रेजने की कार्रवाई की आएगी

भी शिव प्रसाद चनपुरिया: समापति महोदय, जो स्टेटमेंट रखा गया है उसमें मेरे प्रश्नों का उत्तर सदी-सदी नहीं आया । मैने यह पृष्ठा था कि कुल कितने आयास स्टंड अवास**हीनों को वितरित किए** गए ? विवरण में इंदिरा आवास थेजना का किक कर दिया गया और उसके बारें में यह कह दिया

गया कि राज्य सरकार इसका दिसाम रखती है । राज्य सरकार विसास रखती है अपने दिए हुए पैसे का लेकिन केन्द्र है भी राज्य सरकारों को बनुदान मिल रहा है । इसकिए मैं जानना चाहता है कि कुल कितने संपान लोगों को मुखंड दिए गए है भो बड़ी-बड़ी दकानें कर रहे हैं, जिनकी सदी-सदी खेतियां है और नदी-सदी तनस्वाहे हैं । मेरे डिसाम से ऐसे लोगों की संख्या 25 प्रतिशत है । से मैं यह जानमा चाहता हूं कि जिन खबिकारियों ने अपान क्षेणें को सावास खंड दिए, प्रशासकीय अनुवान दिए, उनके विकास साम क्या कार्यवादी करेंगे ? इस प्रान का उत्हर त्रधै शामा ।

श्री रामेश्वर ठाकुर्ः महाशय, जे प्रश्न पूछा गया है उसमें आप आवास खंड की बात कर रहे हैं । ऐसे गरीब शकेंग जिनकें पास कमीन नहीं है या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें यह सुविधा दी जाती है और उसका हमने पूरा विवरण, राज्यवार विदर्श दे दिया है कि किन-किन राज्यों में कितने मूर्वह बांटे गए हैं । कुल मिलाकर 8,87,920 मूखंड खाबंटित किए गए हैं मकान बनाने के लिए । ये भूखंड दुकानदारों या धनी सोन्धें को दिए गए है, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । वे जे

वेमों मकान बनाने के कार्यक्रम है इसकी व्यवस्था राज्य सरकार है करती है। एक ले राज्य सरकार का वापना कार्यक्रम है और केन्द्रीय सरकार की जो इंदिरा खावास योषाना है, उसकी मी व्यवस्था राज्य सरकार ही करती है। दोनों ही गरीब लोगों के मकान बनाने के लिए हैं और हमारे पास ऐसी कोई सुबना नहीं है कि 25 प्रतिशत दुकारदारों या संपन्न लोगों को ये मूखंड विए गए है। इस तरह को कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। यदि किसी खास मामले के विषय में सूचना मिलेगी तो हम माननीय सदस्य को राज्य सरकार से सूचना उपलब्ध कराकर सचित करेंगे।

की शिष प्रसाद चनपुरिया: सम्मपित मझेदय, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में में यह सवाल पूछ रहा हूं। आपने यह कहा कि यदि आपको ऐसी कोई सूचना मिलेगी कि इन लोगों में से 25 प्रतिसत लोग ऐसे हैं जो अपात्र है और उन्होंने ये मूखंड और अनुदान प्राप्त कर लिए हैं तो आप कार्यवाडी करेंगे। में आपको सूचना मुहेया कराऊंगा लेकिन में यह चाहता हूं कि आप अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाडी करने का बचन दें जिन्होंने पैसे लेकिर ये मूखंड बांटे और अनुदान दिए।

समापित महोदय, शासकीय अनुदान कितने बढ़े पैमाने पर गमा है खपात्र लोगों के पास, खगर इसका हिसाब लगाया जाए है पता लगता है कि 3 जरब रूपए से अधिक अनुदान की राशि दे दै गई है और यहां भारत सरकार पैसे के लिए से रही है । तो मेहरबानी करके कार्यवाही करने का आप आश्वासन दें । तमी-जमी मेरे पास सुचना आई है कि एक तहसीलदार ने दुकान खोल रखी है । 500 रूपमा कालो और हमसे पट्टा के लो । तो मेरा निषेदन है कि आवासीय भूखंडों के खलाटमेंट की गढ़कड़ी के बारे में हो महीने के सीतर जांच की जार तो वे सारे पट्टे खारिज़ करने लायक हैं । इस में कार्यवाही करने का आध्वासन मंत्री औ देने की कुम्म करेंगे ?

श्री शामेशकर ठाकूर: महोदय, माननीय सदस्य धर्में विधिवत ऐसे क्षेत्रों की सूचना दे हैं, स्थान का व अन्य विवरण दे हैं तो श्रम शब्द सरकारों को निर्देश देंगे कि अच्छी तरह से आंच पहलाश करके ऐसे को क्षिकारों हैं उनके किलाफ उधित आर्यकारी करेंग्रें

श्री महेंड्य हैं हिंद्र : समायति महोदय, मेरी कृषनानुसार इस कार्यक्रम में अवस्थाय के फलास्वकप प्रदेशों में हर वर्ष महुत इस खोग लामान्वित्र के पाते हैं । जिस्र गरित से सह खोजना चल रही है ऐसा सगठा है कि बेचर लोगों के समस्या का समाधान इसी मी नहीं के पाएगा । तो में लायके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने प्रदेशमुंग: कोई ऐसा सर्वेद्धण करवाया है कि आंच की देट में किठने लोग बेचर हैं ? अब आप आवास सेवास के तंत्रगंत किसी प्रदेश को क्षेत्रपान देते हैं तो क्या इन आंवाओं को ब्यान में रखा चाला है ? क्या सरकार ने लोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि अमुक साल ठक किसी प्रदेश में कोई व्यक्तित बेकरबार नहीं रहेगा ? सागर ऐसा किया गया है ते उस संबंध में ब्यौरा क्या है ? श्री रामेश्वर ठाष्ट्रर: मडाशय, अंजना कमीशन की ओर से एक अप्रैल, 1991 तक प्रत्येक राज्य में, प्रामीण क्षेत्रों में और संदर्श क्षेत्रों में आवासों की कितनी कमी है, इसकी गणना की गई है। उसके अनुसार प्रामीण क्षेत्रों में 20.61 भितियन यूनिट्स की कमी थी। सारे राज्यों को मिलाकर एक अप्रैल 1991 को शहरी केंग्ने में 10.36 मिलियन यूनिट्स की कमी थी। ऐसा अनुमान किया गया है कि प्रति साल हमें करीब 2 मिलियन और आवश्यकता होती है। यानी इस तरह से इस शताब्दी के संत तक करीब करीब 40 मिलियन यूनिट्स जावास की सावश्यकता होती, यह कमी रहेशि। अभी तक यह चूंकि राज्य का विषय है और राज्य सरकार जावश्यकता होती हमी तक यह चूंकि राज्य का विषय है और राज्य सरकार जावश्यकता होती हमी तक यह चूंकि राज्य का विषय है और राज्य सरकार की सावश्यकता होती हमी तक यह चूंकि राज्य का विषय है और राज्य सरकार जाविस कें तक स्था हमी हक यह चूंकि राज्य का विषय है और राज्य सरकार जाविस हम अर्थकर को विपानन प्रकार की सावश्यक रही है।

षडां तक केन्द्र की सहायता का संबंध है, इम लोग उसमें इस टर्ड की सभी कमियों वादो खेतों को प्राथमिकता के आधार पर को सबसे गईंख वर्ग के लोग हैं जिनमें कि खास होर से को छुड़ाए गए मजदूर हैं, प्रीव बांडेड लेबर, इनके खलावा खनुसूचित जाति और कमजाति के को लोग हैं, उनमें भी को विविश्मस हैं, जिन पर किसी कारण से अत्याधार किया गया हो, या ऐसे हैं को गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को विक्रेषता वे जाती है और यह कार्यक्रम बवाहर रोजगार सोजना को अभी बढ़ाई गई है, जिसकी एकि सभी राज्यों को ही जाती है, उसके संतर्गत 6 प्रविश्वत खर्च राज्य सरकारों को करने के लिए कहा गया है। ये काम राज्य सरकारों को करने के लिए कहा गया है। ये काम राज्य सरकारों कर रही हैं। यह कहना मुश्किल है कि कितने मकान जवाहर रोजगार योजना में बन रहे हैं, उसी 6 लाख 25 हजार पृत्ति साल में बनते हैं, यह स्थेष्ट नहीं है यह कमी पूर्ण करना चाहें।

को नेशनका शादिसंग पालिक्षी है, राष्ट्रीय मकान नीति को क्नाई गई है उसमें कहा गया है कि सामीण होतों में अधिक से क्षिक गरीब लोगों के लिए मकान का पाल्यान किया जाए । उस नीति के अनुसार बनाइर रोजगार योजना के संतर्गत हम कीर अधिक मकान बना सकें, इस पर विचार कर रहे हैं।

SHRI TTNDIVANAM G. VENKATRA-MAN: Mr. Chairman, Sir, will the Minister be pleased to stte what the total number of amplications received from the homeless is and how many of them have been allotted the houses? I would like to know what the norms fixed are and whether they have been followed correctly.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, the amplications are received by the State Governments and at the moment neither this Pan relates to the question nor have I readily die number of applications but certainly I have given the number of allotments made. It is 87,920.

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN: What are the norms followed in making allotments? He has not answered it.

MR. CHAIRMAN: Norms he has mentioned already.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir. earlier I have stated the norms—people below the poverty line, those who are landless labourers, people who are SCs/STs and those who are freed bonded labourers.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Sir. the cost ceiling for each house under this schemers as follows: construction of house— Rs. 8,000. We all knowthat cost escalation in the construction materials is so high that with this cost ceiling, i.e. Rs. 8,000—which is very low—building a house in which one can live is not possible*. Most of the State Governments also brought this matter to the notice of the Central Government because eight thousand is nothing now a days. Therefore, I would like to know from the Hon. Minister whether there is any proposal to increase the cost ceiling from 8,000 to say, about 11,000 or 12,000 or 13.000. This is a very important issue. In almost all places this is the complaint. In my State, Andhra Pradesh, this Housing Scheme is very well implemented. In some States like Andhra Pradesh and other places it is very well implemented. People are benefited by it. But the only snag is that the cost ceiling is so low that they are not able to build a house which can be worth living. Minimum facilities are also not being provided there. Therefore, some amount of the money which is allotted, is not being utilised by the beneficiaries. Therefore, I would request the Hon. Minister to review this issue once again and see that the cost ceiling is increased in view of the escalation in the cost of building materials.

SHRI RAMESHWAR THAKUR. Sir. the cost of construction depends on the type of buildings and the locations in various States. Our norms are: construction of house—Rs. 8,000, construction of sanitary latrine and smokeless chullah—Rs. 1,400 and provision of infrastructure and common facilities-Rs. 3300. This total amount is available to the beneficiary and depending on the hill areas and unfavourable soil conditions this amount can go up to Rs. 9.800. An additional amount of Rs. 3,300 given for infrastructural facilities can also be utilised. The State Governments are free to fix the norms from place to place within the overall limits. We have no such representation from the State Government of Andhra Pradesh.

In fact, the State Government of Andhra Pradesh had given us a proposal for 45,125 dwelling units which we have sanctioned for the current year and the programme is going on effectively in the State.

to Questions

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Sir, my point is this. Leave out this Rs. 1,400 for infrastructure. For construction of the building itself Rs. 8,000 is the ceiling. I would like to know in view of the cost escalation whether the Government will review this ceiling or not That is a simple question I am asking. He is saying a iot of other things. . . (Interruptions) ... Infrastructural facilities should always be there; otherwise, nobody can enter the house and nobody can come out of the house without these-facilities. I don't want tinkering with that. But since the cost of the material has increased tremendously during the last few years; I would like to know whether there is any proposal before the Government of India to review this aspect This is a simple question.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, as I have mentioned earlier, the State Govenments have different norms. I have figures of all the States, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh and Gujarat. They vary so much. Particularly in Andhra Pradesh under the scheme 'Housing for Weaker Sections' the unit cost is Rs. 4,000 and for semi-permanent it is Rs. 8,000 ... (Interruptions) ...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: I am only talking of permanent.. . (Interruptions) ...

SHRI RAMESHWAR THAKUR: It is proposed to construct 1 lakh 98 thousand houses during 1993-94. This is a Government programme which is in addition to 45,000 ... *Interruptions*)...

MX. CHAIRMAN: Is this amount all right ? ... (*Interruptions*) ...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: In view of the escalation in the cost of building materials I would like to know whether: Government of India will review this ceiling or not ... (Interruptions) ... He can answer 'yes' or 'no'. This is a very simple question and I don't understand why the Hon. Minister is beating about the bush .. (Interruptions) . ..

SHRI RAMESHWAR THAKUR: We are open to a discussion. But our desire is to construct more and more houses in rural areas in different States. But if there is a request from any State we will certainly consider it.

भी सहसदेव आनन्द पासवान : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री औ से यह उड़ना चहता है कि हाल ही में बिहार में माननीय मुख्य मंत्री लालु प्रसाद जी ने जो हरिजन कालोनियाँ बनायी हैं, उनमें उन कालोनियों को जिसका नाम दिया जाता है उसी को पैसा दे देते हैं । जो ठेकेदार कालोनियां को बनाते हैं. वह इस तरह से बनाये हैं, साप अगर यात्रा करें तो जहां तडां ऐसी कालोनियां बनी हुई है । वहां रहने वाला कोई नहीं है । श्रसमें के काम किये हैं। जिसके नाम से कालोनीयां बन रहे हैं ससी को पैसा दे देते हैं और वे अपने दंग से बना रहे हैं, और दक्षमें उसकी पत्नी का नष्म भी होता है । दोनों, पति-पत्नी के न्हम से हो जाय तो दोनों में एकता रहे. इसलिये दोनों के नाम से कालोनी बन जाती हैं । मैं आनना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि जो मकान भना रहे हैं उन्हीं के नाम से पैसा दिया जाये क्योंकि ठेकेदार आठ हजार, छ हजार में मकान बनाते है और वे एकान गिर जाते हैं और उसमें रहने वाले हरिश्रन मर जाते हैं । ऐसी बहुत सौ शिकायतें मिली हैं । मैं यह पुरुता चाहता है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है ?

श्री रामेश्रवर ठाकुर: इंदिए तावास योजना में किसी प्रकार से ठेकेदार बडाकी की व्यवस्था नहीं है। जो उपमोक्ता है, वे स्वयं मकान बनायेंगे, उनको सहायता की राशि दी जाती है और जावश्यकतानुसार उन्हें राज्य सरकार से सामान उपलब्ध कराया जाता है। सकान स्वयं उपमोक्ता बनाते हैं। राज्य सरकार की हो सकता है खपनी योजना हो, जिसमें यह काम ठेकेदारों से कराते हों लेकिन इंदिरा आधास योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। लेकिन सगर माननीम सरस्य शिकायत हमारे पास नहीं है। लेकिन सगर बार वह होगा तो हम उसकी राजबीज सच्छी तरह से करेंगे।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, the Minister in his reply said that the scheme of land allotment and dwelling units is meant for homeless rural people. He has also given some figures for whom it is being done ie., SC, ST, landless and bonded labourers. I would like to know how many bonded labourers have been given dwelling places here in Delhi and also in different States. I would like to know whether the Government has any data about this.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I have no ready information with me particularly of Delhi. But in the case of rural areas if I am given a specific notice I can obtain the figures and give them to the hon. Member.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, the Minister hat replied that the scheme includes bonded labourers. I want to know how many bonded labourers have been given dwellings in the rural acas.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I said I will give it to the hon. Member.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Under the Indira Awaas Yojana, construction is going on in almost all Talukas and Districts in the rural parts. But as soon as the construction is over and the rainy season starts, it always gets demolished. Therefore, more than 75 per cent of the people are not getting any benefit out of this particular scheme. They have to go in for repairs. Particularly in Gujarat State in District Punchamahal in all talukas many houses had been constructed but they have got demolished and fallen. No investigation has been done as to why rough quality of construction material is being used. So, I would like to know whether the Government has ordered an enquiry into the rough construction of the houses and to find out whether the money was misappropriated. If so, in how many cases have they instituted such an enquiry?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, I have already mentioned that housing is a State subject and the large scale housing schemes are being implemented by different State Governments out of their own resources. In Gujarat also, the housing scheme for Halapatti, a Scheduled Caste and Scheduled Tribe community, is being implemented by that State. The unit cost under this scheme is Rs. 12,700 with 100 percent subsidy. Now, as regards the Indira Awaas Yojana, we have a system by which the beneficiary himself constructs the house. The subsidy amount is provided to him. Materials are provided by the State Governments, as I have earlier mentioned while replying to the other question. Therefore, normally, we do not receive such complaints because the beneficiaries are very keen and concerned about the proper construction maintenance of their houses. Construction of the house with this amount is a pukka construction. If there are any specific complaints as regards the Indira Awaas 'Yojana or the other schemes, the hon. Member may give me the details and we will consult with the Guiarat Government and ask them to find out the reasons for such things.

Employment Generation Programmes Launched by KVIC

*62. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleas «d to state:

(a) whether it is a fact that special employment generation programmes have been